न्यायालय जिला कलेक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/101/2025	2025/2025/306	10.06.2025	27.05.2026

1– हरिओम पुत्र धर्मवीर जाति जाट निवासी ग्राम माधाका माजरा तहसील हरसौली जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

2– पवन चौधरी पुत्र धर्मवीर जाति जाट निवासी माधाका माजरा तहसील हरसौली जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थीयान

बनाम

1– उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत हुकुमउदूली अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 (क) सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता उनवान हरिओम वगै0 बनाम राजकुमार गोयल वगै0

उपस्थितिः

1– श्री मुकेश कुमार सैनी — वकील प्रार्थी

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत हुकुमउदूली अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 (क) सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में मुख्यतः यह कथन किया गया है, कि तहत अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 99/2025 बअनुवान हरिओम वगै0 बनाम राजकुमार वगै0 अन्तर्गत 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट 1955 को दीगर राजस्व न्यायालय मे मुन्तकिल किये जाने हेतु मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा को पेश किया गया है, जिस पर प्रार्थना पत्र ग्रहण किया जाकर दिनाक 25.04.2025 को अप्रार्थी से तहत अदालत की टिप्पणी चाही गयी है, इस पत्र को अप्रार्थी तहत अदालत को पेश करने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा पत्र फेंक दिया और कहा की ऐसे पत्र तो आते रहते है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना करते हुऐ दिनाक 05.05.2025 को निर्णय पारित कर दिया। जो कि नियम विरूद्व है, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहत अदालत के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही किए जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान की तलवी जर्ये नोटिस की गयी एंव तहत अदालत का बिन्दूवार जवाब तलब किया गया।

प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत हुकुमउदूली में वर्णित आरोपों के समर्थन में कोई स्वतंत्र, ठोस अथवा विश्वसनीय सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की अवमानना की गयी है। तहत अदालत द्वारा न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद में विधिक–प्रकिया के तहत कार्यवाही की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यदि कोई आदेश पारित किया गया है, जिससे प्रार्थीयान असंतुष्ट है, तो उसके विरुद्ध विधि में उपलब्ध उपयुक्त उपाय अपनाए

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

जा सकते हैं। अतः समस्त तथ्यों, प्रार्थना पत्र के आधारों तथा उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित आरोप केवल सामान्य एवं आरोपात्मक प्रकृति के हैं। वर्णित आरोपों के समर्थन में कोई स्वतंत्र, ठोस अथवा विश्वसनीय सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

फलस्वरूप, प्रार्थी हरिओम पुत्र धर्मवीर जाति जाट निवासी ग्राम माधाका माजरा तहसील हरसौली जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) के प्रकरण में विधि अनुसार बअनुवान हरिओम वगै0 बनाम राजकुमार वगै0 अन्तर्गत 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट 1955 राजस्व वाद संख्या 99/2025 का विधिवत निस्तारण करें। प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि आवश्यक सूचना एवं अनुपालनार्थ संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

आदेश आज दिनांक 27.05.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)